

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र कनौजिया,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ, दिनांक: 27 अक्टूबर, 04

विषय:- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका-पकाया भोजन (कुड़ मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:1646/79-6-04(6)/2000 टी.सी.-3 दिनांक: 23 जुलाई, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के कतिपय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे गर्म पका-पकाया भोजन खाने के बाद बीमार पड़ने की सम्भावना रहेगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि गोदामों में खाद्यान्न सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले कीटनाशकों युक्त खाद्यान्न को पके-पकाये भोजन में परिवर्तित करने से पूर्व अच्छी तरह साफ कर लिया जाये और आवश्यकतानुसार अच्छी तरह से धो लिया जाय, जिससे खाद्यान्न जैसे चावल/गेंहूँ आदि पूर्णतः कीटनाशक मुक्त हो जाए। तदोपरान्त ही खाद्यान्न को खाना बनाने हेतु प्रयोग किया जाए, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह दायित्व मध्याह्न पोषाहार योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों का है।

2- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को कर्म पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कतिपय जनपदों से यह भी सुझाव/शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि गेंहूँ बाहुल क्षेत्रों में गेंहूँ से बना खाना दिया जाय। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी सुविधा/आवश्यकतानुसार गेंहूँ/चावल से पका हुआ खाना दिए जाने हेतु स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बंधित एजेन्सी को उक्त निर्देशों से अवगत कराया जाय।

भवदीय,

ह०

(दिनेश चन्द्र कनौजिया),
विशेष सचिव,

पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग।
- 2- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त विभा, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, उ०प्र० लखनऊ।

- 8— प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
- 9— वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 10— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
- 11— समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
- 12— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकाहरी, उ0प्र0।
- 13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव